



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237441
CG-DL-E-22072022-237441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3141]
No. 3141]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

का.आ. 3302(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4300(अ), तारीख 26 नवम्बर 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र, क्रमांक 3785 तारीख 1 दिसम्बर 2020, एवं भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के शुद्धिपत्र- संख्या का.आ. 435(अ), तारीख 31 जनवरी 2022, जो भारत के असाधारण राजपत्र, क्रमांक 416 से तारीख 2 फरवरी 2022, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में "कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना अनुभाग: प्रस्तावित पाइपलाइन पिपावाव से आईएचबी लिमिटेड डुमाड" तालुका भावनगर, जिला भावनगर में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु आईएचबी लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 04 दिसम्बर, 2021 तक उपलब्ध करा की गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी लिमिटेड पूर्णतयः उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : भावनगर

जिला : भावनगर

राज्य : गुजरात

1	2	3	4	5	6
मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लाक / सं. (प्लोट सं.)	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
राजगढ़	196	पै.1	00	27	69
	198	पै.2	00	00	01
	197	पै.1-पै.1	00	16	78
	197	पै.2-पै.1-पै.1	00	03	27
	197	पै.2-पै.1-पै.2	00	04	97
	197	पै.2-पै.2-पै.1	00	06	92
	197 नहर	पै.2-पै.2-पै.2	00	01	16
	223	पै.1	00	09	22
	223	पै.2	00	06	14
	222		00	14	69
	कच्चा रास्ता		00	01	23
	221	पै.1	00	13	54
	220	पै.1	00	02	83
	220	पै.2	00	17	71
	104		00	25	03
	102	पै.2	00	06	29

	101		00	24	14
	100	पै.2	00	01	06
	98	पै.1	00	14	49
	98	पै.2	00	15	03
	नाला		00	06	32
	201	1	00	12	92
	97	पै.1-पै.1	00	22	91
	51	पै.1	00	16	63
	51 रास्ता	पै.2	00	00	45
	52	पै.2	00	19	11
	रास्ता		00	10	25
	42		00	14	94
	44	पै.1-पै.2	00	00	71
	46	पै.1-पै.1	00	05	31
	46	पै.1-पै.2	00	03	62
	46	पै.1-पै.3	00	03	42
	46	पै.2	00	00	58
	45	पै.1	00	08	83
	45	पै.2	00	03	45
	45	पै.3	00	10	48
	45	पै.4-पै.1	00	14	91
	45	पै.4-पै.2	00	15	46
	10	पै.1	00	34	39
	9	पै.4	00	06	87

[फ. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-1/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2022

S.O. 3302(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4300(E) dated the 26 November 2020, published in the Extraordinary Gazette of India No-3785 dated 1st December, 2020, and erratum of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural S.O. 435 (E) dated 31st January 2022 published in Extraordinary Gazette of India No.- 416 dated the 2nd February, 2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that

notification for the purpose of laying "Kandla -Gorakhpur LPG Pipeline Project" for the transportation of LPG in Bhavnagar District in the State of Gujarat by IHB Limited;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owners by 04 December, 2021;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of said Act submitted report to the Central Government;

And Whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil : Bhavnagar

District : Bhavnagar

State :- Gujarat

1	2	3	4	5	6
Mouja/Village	Survey / Block No.	Sub-Divi- No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
Rajgad	196	P1	00	27	69
	198	P2	00	00	01
	197	P1-P1	00	16	78
	197	P2-P1-P1	00	03	27
	197	P2-P1-P2	00	04	97
	197	P2-P2-P1	00	06	92
	197 Canal	P2-P2-P2	00	01	16
	223	P1	00	09	22
	223	P2	00	06	14
	222		00	14	69
	Cart track		00	01	23
	221	P1	00	13	54
	220	P1	00	02	83
	220	P2	00	17	71
	104		00	25	03
	102	P2	00	06	29
	101		00	24	14
	100	P2	00	01	06

	98	P1	00	14	49
	98	P2	00	15	03
	Nala		00	06	32
	201-1		00	12	92
	97	P1-P1	00	22	91
	51	P1	00	16	63
	51 Road	P2	00	00	45
	52	P2	00	19	11
	Road		00	10	25
	42		00	14	94
	44	P1-P2	00	00	71
	46	P1-P1	00	05	31
	46	P1-P2	00	03	62
	46	P1-P3	00	03	42
	46	P2	00	00	58
	45	P1	00	08	83
	45	P2	00	03	45
	45	P3	00	10	48
	45	P4-P1	00	14	91
	45	P4-P2	00	15	46
	10	P1	00	34	39
	9	P4	00	06	87

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-1/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.